

9.2.21  
9.2.21

पंचायती कायदे रेसपोडेण्ड के कर्तव्य रजिनामा के प्रार्थना पत्र दिनांक 19.11.20 के खीला लिए जाने का मत पत्र । वइलाय फाइन उच्चत । आधिकारता रेसपोडेण्ड के अधिकारता श्री अंमालड वैधरी हाग अपन रिनामा का कि प्रार्थना पत्र श्री खीला दिना जडे प्रार्थना पत्र श्री अंमालड विषय इस प्रकार है कि अपीलार व रेसपोडेण्ड इ मध्य अपली तौर पर कर्तव्य रजिनामा हो गया है। अपीलार श्री अपील खीला व अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 18.6.18 को निरस्त किया जाता है तो किन रेसपोडेण्ड को रोडे अपली खी है।

तहत अदालत में प्र.सं. 2/3/15 भाग्यद फराम बोडन, रामपती व उपपंडीपक उन्वानी है। तहत अदालत में आदेश अणचंड के पक्ष में दिनांक 18.6.18 का है। अब स्वयं अणचंड हाग प्रार्थना पत्र फेर व अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त व अपीलार श्री अपील खीला दिना जाने अणचंड अंडन किया है। अतः प्रार्थी / रेसपोडेण्ड व प्रार्थना पत्र खीला किया जाकर अपीलार श्री अपील खीला व तहत अदालत के आदेश को खारिज किया जाता है। पंचायती प्रसन्न कुमार हाग हाग शामिल है। निर्णय अणचंड दिनांक 9.2.21 से युक्त अणचंड में सुनाया गया।